# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 38/2015/प्रा.पत्र/2015 | 20.04.2015 | 20.06.2024 |

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री गुणधर कुमार जैन पुत्र श्री रोडमल जैन जाति महाजन निवासी जेल रोड, टोंक जिला टोंक मैसर्स जैन एन्टरप्राईजेज जेल रोड, टोंक जिला टोंक।
2–श्रीमती प्रेमलता जैन पत्नी श्री गुणधर जैन प्रोपराईटर मैसर्स जैन एन्टरप्राईजेज जेल रोड, टोंक जिला टोंक।
3–मैसर्स जैन एन्टरप्राईजेज जेल रोड, टोंक जिला टोंक।
4–श्री दिनेश चन्द जैन प्रोपराईटर मैसर्स साज एन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड 223–224, शान्ती कॉम्पलेक्स, वराह जी का रास्ता छोटी चोपड, जयपुर।
5–मैसर्स साज एन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड 223–224, शान्ती कॉम्पलेक्स, वराह जी का रास्ता छोटी चोपड, जयपुर
6–श्री सतीश कुमार पुत्र श्री एस.बी.सिंह ग्राम सिकन्दर पुर पोस्ट बेनीगंज जिला हरदोई उत्तरप्रदेश क्वालीटी एक्जेक्यूटीव मैसर्स इपीआईसीयू (EPICU) एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ग्राम पोस्ट मोहरा, जी.टी.रोड, अम्बाला–केन्ट, अम्बाला हरियाना।
7–मैसर्स इपीआईसीयू (EPICU) एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ग्राम पोस्ट मोहरा, जी.टी. रोड, अम्बाला–केन्ट, अम्बाला हरियाना।

.....अप्रार्थीगण

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52**

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 20.06.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.05.2013 को समय 04:00 पीएम मैसर्स जैन एन्टरप्राईजेज जेल रोड, टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री गुणधर कुमार जैन पुत्र श्री रोडमल जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पूछने पर श्रीमती प्रेमलता जैन को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान में 120 बोटल एक लिटर पेक के **फूट ड्रीक्स स्पार्क्लींग एपल जूस (एपी फीज)** दुकान की रेक में रखी हुई थी जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विकेता श्री गुणधर कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर प्रतियों में विकेता श्री गुणधर कुमार जैन व गवाह के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा **फूट ड्रीक्स स्पार्क्लींग एपल जूस (एपी फीज)** के सील्ड शुदा 1–1 लीटर के 04 बोटल वास्ते नमूना जांच मूल अवस्था में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **फूट ड्रीक्स स्पार्क्लींग एपल जूस (एपी फीज)** 1–1 लीटर के कुल 4 बोटल को ज्यों का त्यों मूल अवस्था में लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–538 दर्ज कर, विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–538 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक, अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विकेता श्री गुणधर कुमार जैन ने बतौर वारन्टी मैसर्स साज एन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड 223–224, शान्ती कॉम्पलेक्स, वराह जी का रास्ता छोटी चोपड, जयपुर राज. का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स साज एन्टरप्राईजेज को पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स इपीआईसीयू (EPICU) एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ग्राम पोस्ट मोहरा, जी.टी.रोड, अम्बाला–केन्ट, अम्बाला हरियाना का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./13/2417 दिनांक 01.07.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक, अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./306/एक्ट/2013 /307 दिनांक 03.06.2013 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **फूट ड्रीक्स स्पार्क्लींग एपल जूस (एपी फीज)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(A)(ii) के अनुसार



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

**मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **फ्रूट ड्रीक्स स्पार्क्लींग एपल जूस (एपी फीज)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **फ्रूट ड्रीक्स स्पार्क्लींग एपल जूस (एपी फीज)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.06.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0